

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

आदेश

सं० सं०-17/ए 1-53/2019

पटना, दिनांक :- / / 2025

सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 एवं संशोधन नियमावली, 2013 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा के उपरान्त राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित निम्नांकित सहायक प्राध्यापकों की सेवा सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 के अध्याय-5 एवं कंडिका-8 में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित तिथि के प्रभाव से सम्पुष्ट की जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सक शिक्षक का नाम/ विभाग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की अधिसूचना सं० एवं तिथि	सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की प्रभावी तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डा० मो० उमर फारूक, औषधि विभाग	JLNMCH, Bhagalpur	108(17) 09.03.2022	10.03.2022	10.03.2024
2	डा० कमलेश कुमार, औषधि विभाग	ANMMCH, Gaya	108(17) 09.03.2022	12.03.2022	12.03.2024
3	डा० कुमार सौरभ औषधि विभाग	JLNMCH, Bhagalpur	108(17) 09.03.2022	10.03.2022	10.03.2024
4	डा० ऋचा झा, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग	GMC, Purnea	665(17) 29.08.2022	06.09.2022	06.09.2024
5	डा० सुजीत कुमार, औषधि विभाग	BMIMS, Pawapuri, Nalanda	108(17) 09.03.2022	10.03.2022	10.03.2024
6	डा० पुरुषोत्तम कुमार, औषधि विभाग	BMIMS, Pawapuri, Nalanda	108(17) 09.03.2022	10.03.2022	10.03.2024
7	डा० मुनी लाल गुप्ता, निश्चेतना विभाग	BMIMS, Pawapuri, Nalanda	1221(17) 18.12.2019	19.12.2019	19.12.2021
8	डा० अमित कुमार, औषधि विभाग	SKMCH, Muzaffarpur	665(17) 29.08.2022	30.08.2022	30.08.2024
09	डा० अमित कुमार दास, औषधि विभाग	SKMCH, Muzaffarpur	665(17) 29.08.2022	30.08.2022	30.08.2024

2 उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/ ए1-53/2019 - 512(17)

पटना, दिनांक :- 21 / 05 / 2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य के सभी संबंधित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षक/संबंधित सभी सहायक प्राध्यापकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03, 09 एवं 18ए को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।